उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–12/2013–14

राज्य बनाम काली राम

आदेश

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक–1425/रा0 दिनांक 22/08/2016 से संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–12/2013–14 राज्य बनाम काली राम, मौजा–कौवावर, अंचल–कोडरमा, अग्रत्तर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा आदेश फलक की पृ0सं0–09 पर अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन अंकित किया गया है।

अभिलेख में पृष्ठांकित अंचल अधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0–627, रकवा–2.92 एकड़ भूमि की जमाबन्दी हल्का कार्यालय में उपलब्ध पंजी II के पृष्ट संख्या 51/III पर काली राम पिता–अगनु राम के नाम से दर्ज है। पंजी II पर बन्दोबस्ती वाद संख्या 06/1985–86 दर्ज है; किन्तु बन्दोबस्ती वाद पंजी में उक्त वादक्रमांक पर काली राम, पिता–अगनु राम के बजाए किसी अन्य व्यक्ति, सुशील किरपोटा, पिता–बेंजामिन किरपोटा, सा0–कलीडीह वगैरह का नाम दर्ज है। मिलान के क्रम में ज्ञात हुआ कि काली राम, पिता–अगनु राम के नाम से बंदोबस्ती अभिलेख संख्या 02/1985–86 खोला गया था एवं सम्पुष्टि हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा को कार्यालय पत्रांक 949 दिनांक 20–8–1985 से भेजा गया था; परन्तु उक्त बन्दोबस्ती की स्वीकृति की सम्पुष्टि बंदोबस्त पंजी से नहीं होती है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा पंजी–II एवं बन्दोबस्ती पंजी में बन्दोबस्ती वाद संख्या में भिन्नता के आधार पर उक्त बन्दोबस्ती को संदेहास्पद पाते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा से अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 29–8–2016 को विपक्षी को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। नोटिस निर्गत करने के पश्चात सुनवाई के लिए निर्धारित तीन तिथियों को विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लगातार जवाब दाखिल करने हेतु समय की मॉग की गयी।

सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा द्वारा अंचल अधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन के आलोक में उक्त जमाबन्दी को संदेहास्पद पाते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की कार्रवाई को सरकार के हित में न्यायोचित बतलाया गया।

अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पर उक्त बन्दोबस्ती संदेहास्पद है। अतः अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा और सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा के विधिक मंतव्य के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 के प्रावधानानुसार मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0–627, रकवा–2.92 एकड़ पर काली राम पिता–अगनु राम के नाम से कायम जमाबन्दी, Schedule-1 की जमाबन्दी धारा 4(h) of Bihar Land Reform Act 1950 के अन्तर्गत रद्द की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को आदेश की सम्पुष्टि हेतु भेंजे।

Details of Land:-मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0–627, रकवा–2.92 एकड़।

लेखापित एवं संशोधित

30/5

उपायुक्त, कोडरमा

उपायुक्त 30/5

कोडरमा।